

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 03/2020 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम
GCMS No. 2020/00182

1. समीर सहारण पुत्र देवेन्द्र कुमार जाति जाट सहारण साकिन वार्ड नं. 28,
हनुमानगढ़ टाउन तहसील एवं जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्त

बनाम

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़।
2. जिला प्रमुख जिला परिषद हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत रामसरानारायण जरिये ग्राम पंचायत रामसरानारायण
तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़।
5. पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति
हनुमानगढ़।
6. लालचन्द —(मृतक)
- 6/1. सुमित्रा देवी पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी नवीन इंट उद्योग, चक
6 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6/2. तारामती
- 6/3. नूतन } पुत्रियां लालचन्द जाति जाट निवासीगण नवीन इंट उद्योग,
6/4. सुशीला } चक 6 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6/5. शारदा पत्नी धर्मवीर (धर्मवीर पुत्र लालचन्द) जाति जाट।
- 6/6. आस्था पुत्री धर्मवीर जाति जाट
- 6/7. खुशबू पुत्री धर्मवीर नाबालिग जरिये माता शारदा वली कुदरती जाति
जाट निवासी नवीन इंट उद्योग, चक 6 एस.एन.एम. तहसील व जिला
हनुमानगढ़।
- 6/8. सरोज पत्नी स्व. नवीन कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट।
- 6/9. एकलव्य पुत्र स्व. नवीन कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट।
- 6/10. तान्या पुत्री स्व. धर्मवीर निवासीगण नवीन इंट उद्योग, चक 6 एस.एन.
एम. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित: श्री मूलचंद आचार्य अभिभाषक अपीलांत
अनुपस्थित: एकपक्षीय कार्यवाही अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 6/1 ता 6/10


संभागीय आयुक्त
बीकानेर



निर्णय

दिनांक 29.07.2025

यह अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 की धारा 97-क (2) के अन्तर्गत पंचायत समिति हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- वादगत आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायत रामसरानारायण के ग्राम थेड़ी गंगाणी में स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 4739 ग्राम पंचायत रामसरानारायण द्वारा जारी किया हुआ है। रेस्पोंडेन्ट सं. 6 लालचंद द्वारा अपीलांट के नाम से जारी पट्टों को निरस्त कराने हेतु शिकायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् हनुमानगढ़ के समक्ष शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2015 को पेश किया, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् हनुमानगढ़ ने प्रकरण जांच हेतु रेस्पोंडेन्ट सं. 4 विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ को प्रेषित कर दिया, जिस पर आदेश पारित करते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ ने अपीलांट के नाम से जारी पट्टा क्रमांक 4739 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरुद्ध जिला परिषद् हनुमानगढ़ के समक्ष अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई, जिसे जिला परिषद् हनुमानगढ़ ने दिनांक 31.03.2020 को आदेश पारित करते हुए अपीलांट के पट्टे को खारिज रखा। अधीनस्थ कार्यालय जिला परिषद् हनुमानगढ़ के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलांट का एक पुराना कब्जाशुदा आवासीय प्लॉट ग्राम थेड़ी गंगाणी में स्थित है, जिसका पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 14.01.2000 नंबर 4739 ग्राम पंचायत रामसरानारायण द्वारा अपीलांट के हक में पुराने कब्जे के आधार पर पंचायती कानूनी का पूर्ण अनुसरण कर व पंचायत समिति से मंजूरी लेकर जारी किया हुआ है। अपीलांट व उसका परिवार शुरू से ही काबिज है तथा आज दिवस तक लगातार बिना किसी रोक-टोक, बाधा के काबिज चले आ रहे हैं तथा मौका पर अपीलांट के मकान आदि बने हुए हैं। रेस्पों. सं. 6 लालचंद ने रंजिश के चलते एक तथाकथित नक्शा वर्ष 1964 जो किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार व अनुमोदित नहीं है, को आधार बनाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् हनुमानगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसकी जांच सीईओ जिला परिषद् ने जांच हेतु विकास अधिकारी पं.स.



समाधिद आयुक्त
वीकानेर

हनुमानगढ़ को प्रेषित की। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी में रखा गया, जिसमें अपीलांट द्वारा मय दस्तावेज लिखित जवाब दिनांक 08.04.2015 को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पाठशाला व बस स्टेन्ड, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि अन्यत्र स्थान पर बने हुए तथा संचालित हो रहे हैं, जिस बाबत अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत कोहला द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 08.02.1983 की सम्पूर्ण पत्रावली भी पेश की गई। अपीलांट द्वारा अवगत कराया कि किला नंबर 14 व 15 कृषि भूमि है व किला नंबर 23, 24, 25 आबादी भूमि हैं। इन तमाम तथ्यों को अनदेखा कर अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना दिये बिना पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी ने बिना मामले का सही ढंग से विवेचन किये दिनांक 05.01.2016 को अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार के चारो पट्टों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा अपीलाधीन पट्टा निरस्त कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा अपील करने पर ही पट्टा निरस्ती की कार्यवाही हो सकती थी किन्तु उक्त कार्यवाही केवल शिकायत के आधार पर की गई, जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। अपीलांट द्वारा जिला परिषद् हनुमानगढ़ के समक्ष पेश अपील को भी दिनांक 31.03.2020 को आदेश पारित कर पट्टे को खारिज रखा। रेस्पों. सं. 6 लालचंद की शिकायत दिनांक 06.01.2015 के पश्चात् ग्राम कोहला के प्लॉटो से संबंधित शिकायत सतर्कता समिति हनुमानगढ़ में कोहला ग्राम वासी द्वारा की गई जिसके 1964 के तथाकथित नक्शा के बाबत लिखा है कि इस नक्शा के आधार पर पैमाईश किये जाने से 90 प्रतिशत से अधिक घर आबादी पेयजल पाईप लाइन, विद्युत लाईन, सार्वजनिक सुविधायें आंशिक या पूर्णतया प्रभावित होगी तथा बड़े स्तर पर घरों आबादी व सड़को आदि में तोड़-फोड़ करनी होगी। तत्पश्चात् सतर्कता समिति ने राज्य स्तर पर नये प्रस्ताव बनाकर भेजने के आदेश दिये तथा इसी तरह का पत्र ग्राम पंचायत रामसरानारायण के सरपंच ने भी नाथावली, थेड़ी ग्राम के बारे में लिखा है कि सार्वजनिक जगह आदि पर कब्जे होकर लोग बसे हैं, इसलिए जैर अपील आदेश निरस्तनीय है। थेड़ी गंगाणी में ही अलग स्कूल मंजूर करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.08.1983 को स्कूल का निर्माण किया जा चुका है। अपीलांट का विवादित स्थल पर पुराना कब्जा था, जिसके आधार पर ही रेस्पोंडेन्ट द्वारा पूर्ण जांच कर अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पूर्ण पालना कर अपीलांट के हक में पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा पुराने मकान को सही करवाया गया तथा प्लॉट के लिये सरपंच द्वारा एन.ओ.सी. भी



समाजिक आयुक्त
जयपुर

मिली हुई है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन पट्टे को बहाल रखा जावे।

3- रेस्पोजेन्ट संख्या 4 ने अपने पत्रांक 1553 दिनांक 11.11.2020 द्वारा लिखित जवाब पेश करते हुए अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त गांव थेड़ी गंगाणी के प्रमाणित नक्शें अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रसार अधिकारियों की कमेटी गठित कर कमेटी से प्रकरण की जांच करवायी गी। गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बस स्टैण्ड, दुकानें व पाठशाला के लिये आरक्षित स्थान पर तात्कालिन ग्राम पंचायत रामसरानारायण द्वारा राज. पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 अंतर्गत पुराने कब्जे के आधार पर उक्त चारों पट्टों को जारी किया गया है कमेटी की रिपोर्ट संलग्न है। उक्त प्रकरण पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक में सुनवायी हेतु रखा गया एवं दोनों पक्ष को पूर्णतया सुनवायी का अवसर दिया गया। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थायी समिति द्वारा उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट, दोनों पक्षों की सुनवायी संबंधित रिकार्ड का अवलोकन एवं निरीक्षण किया तथा विस्तृत विचार विमर्श एवं चर्चा की एवं पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आरक्षित स्थल की किस्म/ प्रकृति में विधिवत रूप से संपरिवर्तन की सक्षम स्वीकृति नहीं प्राप्त की। चाहे उक्त पट्टों को जारी किये जाने की तिथि को अप्रार्थी या अप्रार्थी के परिवार का उक्त प्लाटों पर पुराना कब्जा था एवं चाहे ग्राम पंचायत आरक्षित व सार्वजनिक स्थलों की केवल मात्र न्यासी है। ग्राम पंचायत को आरक्षित व सार्वजनिक स्थल का पट्टा जारी किये जाने अथवा नियमितिकरण का कोई भी अधिकार नहीं है। तथा न ही सार्वजनिक व आरक्षित स्थल के किसी कब्जाधारी को इस प्रकार से पट्टा प्राप्त करने अथवा नियमितिकरण का अधिकार है। प्रशासन स्थापना एवं स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि ग्राम पंचायत रामसरानारायण द्वारा दिनांक 04.01.2020 को जारी चार पट्टे क्रमांक 4736, 4739, 4738, 4739 जो कि क्रमशः संदीप/देवेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार/रामलाल, शकुन्तला/देवेन्द्र कुमार व समीर/देवेन्द्र कुमार के नाम से जारी किये हैं, तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.01.2016 में पारित प्रस्ताव सं. 05 की अनुपालना में उक्त चारों पट्टें निरस्त किये जाते हैं।

श्रीमान जी से निवेदन है कि जिला परिषद हनुमानगढ़ की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति जिला परिषद हनुमानगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट, उभय पक्षों की सुनवाई, संबंधित रिकार्ड का अवलोकन एवं निरीक्षण किया




प्र
संभागीय आयुक्त
दौकानेर

गया। तत्पश्चात् प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख महोदय के द्वारा जिला परिषद् हनुमानगढ़ की साधारण सभा बैठक दिनांक 12.12.2019 के प्रस्ताव संत्र 9 में रखा गया साधारण सभा के द्वारा बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया कि उक्त अपील को निरस्त कर पंचायत समिति हनुमानगढ़ के निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.1.2016 में पारित प्रस्ताव सं. 5 के निर्णय आदेश क्रमांक 671 दिनांक 14.01.2016 को बहाल किया गया है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार की जावे।

4- हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख एवं अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रपत्र 3 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ ने अपीलांत के नाम से जारी पट्टा क्रमांक 4739 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरुद्ध जिला परिषद् हनुमानगढ़ के समक्ष अपीलांत द्वारा अपील पेश की गई, जिसे जिला परिषद् हनुमानगढ़ ने दिनांक 31.03.2020 को आदेश पारित करते हुए अपीलांत के पट्टे को खारिज रखा। अभिभाषक अपीलांत द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांत को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ कार्यालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2020 यथावत रखते हुए अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला परिषद् हनुमानगढ़ को अपीलांत को पुनः उचित सुनवाई एवं जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांत निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विश्राम मिश्रा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर